"The Office of headman being hereditary, the next heir, who is fitted, should be headman."

इस नियम के अनुसार उत्तराधिकारी के आधार पर अगला वंशज (Next heir) जो योग्य है, प्रधान होगा। अगला वंशज (Next heir) योग्य है अथवा नहीं, इसकी परख के संबंध में शिउड्ल V के ही नियम –I में उल्लेख है जो निम्न प्रकार है–

"The appointment of headman shall be made in accordance with village customs and before confirming any appointment the Deputy Commissioner shall satisfy himself that the candidate is generally acceptable to the Raiyats and opportunity shall also in every instance by afforded to the proprietor to object to any candidate. "

इस प्रकार उपरोक्त नियम के आलोक में प्रधान पद पद नियुक्ति के लिये उम्मीदवार को आम सहमति की आवश्यकता है। 16/– रैयतों की ओर से अपीलकर्त्ता के समर्थन में आवेदन इस न्यायालय में दाखिल किया गया है किन्तु अंचल अधिकारी से उम्मीदवार की योग्यता के संबंध में किसी प्रकार का जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा इसमें अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है बल्कि उम्मीदवार के संबंध में अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा से आम सहमति संबंधी प्रतिवेदन की मांग का आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित होने के पश्चात ही इस न्यायालय में अपील दायर किया जाना चाहिए। आम सहमति एक न्यायिक प्रक्रिया है। इसका अनुपालन किया जाना नियमानुकूल प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के शिउड्ल V में उल्लेखित नियमों का पालन करते हुए प्रधान की नियुक्ति की जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक...../विधि, दुमका दिनांक.....

प्रतिलिपिः-अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उसके साथ निम्न न्यायालय के अभिलेख पी0ए0 बाद सं0 128/12-13(हेंमत टुडू) को मूल में संलग्न कर भेजा जाता है।

उप समाहर्ता,
जिला विधि शाखा,
दुमका ।

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 17/2016–17

दिनेश कुमार मांझी ..... अपीलकर्ता

बनाम

16/– रैयत, मौजा बारा ..... उत्तरकारी

।। आदेश ।।

28/02/2017 यह रे0मि0 अपील वाद सं0– 17/2016–17 दिनेश कुमार मांझी, सा0 कोल्हरिया अंचल सरैयाहाट बनाम् 16/– रैयत मौजा बारा अंचल जामा के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस.आर. वाद 34/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता सेना में नायक सुबेदार के पद में कार्यरत है। उनके द्वारा मौजा बारा अंचल जामा के दाग सं0 3747 पुरातन पतित में जमींन बन्दोबस्ती हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। इस पर अंचल अधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता के साथ उक्त दाग में 0.12डी0 जमींन बन्दोबस्ती हेतु ट्रेस नक्शा सहित अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन निम्न न्यायालय में समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि उक्त दाग के अंश रकवा में नरेगा योजना के तहत् एक तालाब का निर्माण किया गया है। वर्त्तमान में कुछ अंश रकवा लगभग 10 से 12 कठ्ठा भूमि खाली पड़ी हुई है। साथ ही यह भी उल्लेख है कि इस बन्दोबस्ती से ग्रामीणों को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को यह कहकर अस्वीकृत किया गया कि प्रतिवेदन के साथ प्रस्तावित जमींन का ट्रेस नक्शा नहीं है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के साथ प्रस्तावित जमींन का अनुरेख नक्शा संलग्न है किन्तु नक्शा में प्रस्तावित जमींन के साथ उक्त जमींन के अंश रकवा में नरेगा योजना के तहत् निर्मित तालाब को नहीं दर्शाया गया है। किन्तु अंचल अधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता के साथ की जाने वाली जमींन को अनुरेख नक्शा में दर्शाया गया है जिसकी दो प्रति प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। निम्न न्यायालय द्वारा इस पर गौर नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, जामा को आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्त्ता के साथ उक्त जमींन का सीमांकन कर दिया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,